

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु... मुकाम.....

..... बनाम
पद्मराम खेदाराम कोटा
किस्म मुकदमा... २१. ३११५७ १११, १२८ नं. १५ सन् २०१८
RLR १५-

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.1.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेदाराम जकरासु ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/2/18 को पेश हो।</p>	
12/02/18	<p>प्रार्थी वकील उपलब्ध। विप्रार्थी/जिगां के नोटिस तामिल मुहता प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली भिजा गया। विप्रार्थी संख्या 1 के 8 की मौर के वकील श्री नरयण पूनड़ द्वारा फॉर टेकिंग ली गई तथा विप्रार्थी/जिगां संख्या 9 के 12 की मौर के वकील श्री जगदीश गोसावई द्वारा फॉर टेकिंग ली गई, मतः विप्रार्थी/जिगां के व डालातनामा व जवाब हेतु पत्रावली माइला दिनांक 26/02/2018 को पेश हो।</p>	<p>undertake विप्रार्थी 1-8 undertake burma विप्रार्थी 9 to 12 12/2/18</p>

26/02/18

उपस्थित। विप्राधीगण वहील वडालातनामा व जबाब
पेवा नही डरना चाहते हैं। विप्राधीगणों का जबाब
बन्त विभा जाला है। उधर वहील ही एकपक्षीय
वडम सुनी गई, उधर उं अधिवक्ता ने खतमा की
उधर उं अपने ध्यालेदारी ध्येले उं चाली फॉर
पक्के नेधमवनी कइवाना कावरपडु है इसलिए
उधर उं नेधमवनी काकेडु त्वीडर विभा जाडर
नेधमवनी काकेडु विभा जावे।

सतः उधर उं नेधमवनी काकेडु
त्वीडर विभा जाडर लडमीलगाद गिडा उं अधिवक्ता
निधुक्त विभा जाला है व काकेडु विभा जाला है
कि कापु त्वमं या अपने अधिनक्ष विमी भी उं
अधिलेख निरिसड ले उधर उं ध्यालेदारी ध्येले की
पक्की नेधमवनी मोडे पर बुलडु जमाडाडर उं
पालना रिपोर्ट आलत होने पर शामिल पत्रावली की
पत्रावली फंसल बुमार ही दर्ज नम्बर ले उधर उं
दाखिल इफल ही।

विप्राधीगण
प्राधीगण

विप्राधीगण
१२/०२/१८
२०१८/०२/१८
२०१८/०२/१८
२०१८/०२/१८

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2018/279

दिनांक: 27.2.18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री पदमाराम पुत्र पेमाराम
वगैरा 2 जाति जाट निवासी
लेगों की ढाणी तह. गिड़ा
जिला बाड़मेर

1. श्री रूपाराम पुत्र बागाराम वगैरा
12 जाति जाट निवासी लेगों की
ढाणी, चीबी तह. गिड़ा जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 17/18

आदेश

मौजा लेगों की ढाणी पटवार हल्का चीबी के खेत खसरा नम्बर 375/229 रकबा 18.08 बीघा, मौजा होलोणी पटवार मण्डल चीबी के खेत खसरा नम्बर 243/191, 164, 174, 171, 292/172, 290/172 रकबा कमशः 67.11, 14.10, 12.04, 00.06, 08.11, 09.12 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौजे पर सन्तुष्टि नामा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्रार्थी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2018/280-284

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री पदमाराम पुत्र पेमाराम वगैरा 2।
4. विप्रार्थीगण श्री रूपाराम पुत्र बागाराम वगैरा 12।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

(हेतुप्राप्त) (SDO),
सहायक कलेक्टर (सहायक कलेक्टर)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक: 27.2.18

(SDO)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
सहायक कलेक्टर (सहायक कलेक्टर)
बायतु